उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

संख्या-43/2017/1790/92-1-2017-8(अधि0)/2017

लखनऊ: दिनांक: 28 जून, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के 15 अधिशासी अभियंताओं को स्थानांतरित किये जाने विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-37/2017/1539/92-1-2017-8(अधि0)/2017, दिनांक 14-06-2017 के क्रमांक सं0-7, 10 एवं 15 पर उल्लिखित निम्न अधिशासी अभियंताओं के स्थानांतरण को संशोधित करते हुये शासकीय हित में उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है और उनके नाम के सम्मुख कालम-5 में अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है :-

क्र0सं0	अधिशासी अभियंता का नाम	स्थानांतरित प्रखण्ड का नाम	नवीन तैनाती	
			तैनाती स्थान	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5
1-	श्री मो0 बेग	प्रखण्ड-हाथरस	पी0आई0यू0-अलीगढ	प्रखण्ड-अलीगढ
2-	श्री नीरज कुमार	पी0आई0यू0-बलिया	पी0आई0यू0-बागपत	प्रखण्ड-बागपत
3-	श्री डी0डी0 पाठक	पी0आई0यू0-रायबरेली	प्रखण्ड-कानपुर नगर	-

2- उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 14-6-2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3- उपरोक्त अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4- उक्त अतिरिक्त कार्यभार अत्यन्त अस्थाई प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत है एवं उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

मो0 शफकत कमाल
विशेष सचिव।

संख्या-43/2017/1790(1)/92-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
7- संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
9- कम्प्यूटर अंकन प्रति।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in